स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत सोशल सेक्टोरल वर्टिकल में प्रदेश के नगर व गांव में सतत विकास एवं पर्यावरणीय स्थिरता को गति प्रदान करने के लिए Sustainable Development Cell (Rural & Urban) के गठन हेतु सीनियर कन्सल्टेन्टस श्रेणी-2/कन्सल्टेन्टस श्रेणी-1 एवं यंग प्रोफेशनल्स के चयन हेतु स्क्रीनिग कमेटी एवं कन्सल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2026 का कार्यवृत्त।

शासन की अधिसूचना संख्या-4/2022/(2245/2022)1/01/35-आ-1-2022-13, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 द्वारा स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन का गठन किया गया है। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के गठन में 07 सेक्टोरल वर्टिकल प्रखण्ड बनाने के प्राविधान हैं, जिसका उल्लेख उपरोक्त शासनादेश के पैरा-6 (3) में दिया गया है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-(4730/25)1/4/35-एस0टी0सी0-2/2025-18, दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश की तैनाती की गयी है। उपरोक्तानुसार स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के गठन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तैनाती के उपरान्त स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन को विधिवत स्थापित करने की कार्यवाही प्रदेश में गतिमान है।

अधिसूचना दिनांक 10.10.2022 में परिकल्पित सेक्टोरल वर्टिकल में वर्णित सोशल सेक्टर वर्टिकल के अन्तर्गतप्रदेश के नगर व गांव में सतत विकास एवं पर्यावरणीय स्थिरता को गति प्रदान करने के लिए Sustainable Development Cell (Rural & Urban) की अवधारणा परिकल्पित की गयी है।

उक्त स्थिति में नियोजन विभागके कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2022/(2245/2022)1/01/35-आ-1-2022-13, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 के दृष्टिगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-315/एस0टी0सी0 अनुभाग-2/2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन के अन्तर्गत नगरीय विकास वर्टिकल के अन्तर्गत Sustainable Development Cell (Rural & Urban) सेल सृजित किया गया। इस सेल के द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के अर्न्तगत मुख्यत: निम्न घटको में कार्य किए जायेगे:-

- सीवरेज, सेप्टेज और री-यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
- पेयजल
- एयर पॉल्यूशन
- अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट
- ट्रांसपोर्ट

उक्त सेल के मुख्य कार्य व गतिविधियां निम्नवत होगी:

- सीवरेज, सेप्टेज, सॉलिड वेस्ट मैजेजमेंट और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और कमी के लिए सेक्टोरल स्टेट लेवल मास्टर प्लान बनाना
- डिस्ट्रिक्ट प्लान विकसित करना- इंफ्रास्ट्रक्चर (सीवर वॉटर सप्लाई और SWM) का वेहतर उपयोग में विद्यमान गैप्स को चिन्हित करना और उनके निराकरण की व्यवस्था करना।
- वॉटर सप्लाई, SWM,सीवरेज रोड STP सहितइंफ्रास्ट्रक्चर की GIS मैपिग शहरी और ग्रामीण इलाको में WASH (सीवरेज सहित) और SWM सर्विस डिलीवरी में आने वाली अवरोधों की पहचान करना
- WASH (सीवरेज सहित) से जुड़े स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन तय करना
- WASH (सीवरेज सहित) और SWM सर्विसेज का रियल टाइम मेजरमेंट और मॉनिटरिंग करना
- पॉलिसी फ्रेमवर्क एनासिस
- शहरी और ग्रामीण इलाकों में WASH और SWM सर्विसेज की डिलीवरी में लगे इंस्टीट्यूशन्स का SWOT असेसमेंट डेवलप करना
- EPR प्रमोशन, डिप्लॉयमेंट और एंगेजमेंट

- इंटीग्रेटेड सेक्टर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैनेजमेन्ट डेवलप और मैनेज करना
- एक्सपोजर विजिट ऑर्गनाइज करना।
- नालेज डिसेमिनेशन कान्फ्रेंस, वर्कशाप और मीटिंग आर्गनाइज करना
- सफलता और नई सीख की सक्सेस स्टोरीज /वेस्ट प्रेक्टिस एवं लर्निंक स्टोरीज पर फील्ड विजिट आर्गनाइज करना
- लाइन डिपार्टमेंटस और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना
- देश और दुनिया के सेक्टोरल इनोवेशन्स की पहचान करना

उक्त स्थिति में अन्य पदो के अतिरिक्त 01 पद परप्रोग्राम डायरेक्टर (सीनियर कन्सल्टेन्ट) के चयन के सम्बन्ध में दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं टाईम्स आफ इण्डिया) में दिनांक 31.01.2026 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। विज्ञापन प्रकाशित करने के 30 दिन के अन्दर प्राप्त होने वाले एक आवेदन पत्र के सापेक्ष चयन की कार्यवाही करने के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या-(80/26)1/7/35-एस0टी0सी0अनुभाग-2/2025-25, दिनांक 12 जनवरी, 2026 के माध्यम से गठित स्क्रीनिंग कमेटी तथा कन्सल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2026 को की गयी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-(80/26)1/7/35-एस0टी0सी0 अनुभाग-2/2025-25, दिनांक 12 जनवरी, 2026 के द्वारा स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन द्वारा नीति आयोग, भारत सरकार के आदेशसंख्या-ए-12036/2/2023-Adm.IBदिनांक 07 जुलाई, 2023 द्वारा निर्धारित"Procedure and Guidelines for Engagement of Senior Consultans/ Consultans Grade-2/ Consultans Grade-1/ Young Professionals in NITI Aayog,2023" को पूर्णतः एडॉप्ट किया गया है।नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त गाईडलाइन में दिए गए प्राविधानों के अनुसार निम्नलिखित 03 अभ्यर्थियों यथा डा0अवधेश कुमार गुप्ता, श्री जमील अहमद, श्री अखिलेश गौतम केआवेदनपत्र प्राप्त हुए । उक्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग व चयन की कार्यवाही के लिए स्क्रीनिंग कमेटी तथा कन्सल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2026 को आहूत की गयी।

नीति आयोग, भारत सरकार के उपरोक्त आदेश/गाईडलाइन दिनांक 07.07.2023 के पैरा-6 में दिए गए एजूकेशनल क्वालीफिकेशन, एक्सपीरियंश आदि के प्राविधानों को इस चयन प्रक्रिया में अंगीकृत किया गया है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-(80/26)1/7/35-एस0टी0सी0 अनुभाग-2/2025-25, दिनांक 12 जनवरी, 2026 में गठित स्क्रीनिंग कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैः-

1. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0टी0सी0- अध्यक्ष,
2. अपर निदेशक, श्री अरविंद कुमार वर्मा, एस0टी0सी- सदस्य,
3. वित्त नियंत्रक-एस0टी0सी0- सदस्य,

कन्सल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैः-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0टी0सी0- अध्यक्ष,
2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0टी0सी0- सदस्य,
3. वित्त नियंत्रक-एस0टी0सी0- सदस्य।

कन्सल्टेंसी मूल्यांकन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं समग्र मूल्यांकन के आधार पर श्री अखिलेश गौतम को सम्बन्धित श्रेणी के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया। श्री गौतम का सीनियर कन्सल्टेन्ट के पद के सापेक्ष पार्ट टाइम/ फलेक्सिबुल इंनोजमेन्ट होगा।

(अरविन्द कुमार वर्मा)	(विश्वजीत राय)	(अक्षत वर्मा)	(मनोज कुमार सिंह) 24.3.26
सदस्य।	सदस्य।	सदस्य।	अध्यक्ष।